संख्या-144/2018/1119/22-4-18-48(30)/14

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-04 अक्टूबर, 2018

विषय- जिला कारागार सोनभद्र, बागपत, कासगंज एवं चित्रकूट में ई-प्रिजन कार्ययोजना के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29326/आधु-2/ई-प्रिजन/2018, दिनांक-14 अगस्त, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार सोनभद्र, बागपत, कासगंज एवं चित्रकूट के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से हार्डवेयर क्रय करने तथा नेटवर्किंग व ब्राड बैण्ड की व्यवस्था कराने हेतु रू0 10.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु शतप्रतिशत धनराशि रू0 10,00,000/-(रूपया दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	प्रस्तावित सामग्री	संख्या	दर प्रति यूनिट	कुल लागत
1	डेस्कटाप (आई-5, 7 जनरेशन)	02	49400	98800
2	लैपटाप (आई-5, 7 जनरेशन)	01	50450	50450
3	आल इन वन लेजर प्रिन्टर (प्रिन्ट, कापी, स्कैन)	02	19000	38000
4	यूपीएस 1000वीए	02	4450	8900
5	फिंगर प्रिन्ट स्कैनर	02	6999	13998
6	वेब कैमरा	03	4199	12597
7	नेट वर्किंग	01	10000	12000
8	ब्राड बैण्ड की व्यवस्था (1 वर्ष के रेन्टल सहित)	01	15600	15600
			योग	250345
प्रस्तावित 04 जिला कारागार सोनभद्र, बागपत, कासगंज तथा चित्रकूट हेतु रू0 2,50, 345/- की दर से लागत की कुल धनराशि				रू0 10,01,380/- अर्थात प्रावधान के सापेक्ष रू0 10.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(ग) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का होगा।

(ड़) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(च) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर व्यय किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-17-ई-प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय" मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-144/2018/1119(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in